

सहायक क्लर्क (SBO)

मुकाम.....

रिखाराम

बनाम.....

लोका वगैरा

सम मुकदमा.....

का० आर० १०


नं. 195/2020 सन. 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
07/08/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री रिखाराम सिन्हा</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 0-9-R-13 CPC</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/09/2020 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>सहायक क्लर्क (SBO)</p>	
15/09/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की कोर्ट के वकील श्री रामकृष्ण शरण द्वारा कठालावनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया गया। दोष विप्रार्थी गिाी के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर एडी मिजवाफे गये जिन्की एडी अनु. प्राप्त नहीं हुई है। इत्तजाह दौडर पत्रावली फाइना दिनांक 16/10/2020 को पेश है।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>सहायक क्लर्क (SBO) वायतु</p>	<p>No objection by me</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>15/09/2020</p>



16/10/2020

पार्थी व विपार्थी संख्या - 1 व 2 के वही  
 उपस्थित। बीच विपार्थियों के नौबत में  
 हुए उठान से अधिक 30 समय उपस्थित है  
 युक्त है जिन्ही कोर से कोई उपस्थित नहीं  
 हुआ लिहाजा विपार्थी संख्या - 3 व 4 के विरुद्ध  
 एडमिशन ठामगदी अमल में लाई जाली है पार्थी  
 व विपार्थी संख्या - 1 व 2 के अधिकता में  
 की बहल सुनी गई पमावली व पमावली के  
 संलग्न राजस्व के 35 का क्लेकेशन किया गया।  
 बाद क्लेकेशन पार्थी का क्लेकेशन स्वीकार किया  
 जाऊर कोरवा क्लेक से लिया जाऊर शामिल  
 पमावली किया गया। पमावली में मल सुभर होऊर  
 इस नम्बर से 35 है, बाकिल दफ्तार है।

  
 सहायक कमांडर  
 (SDO) बायत

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस  
राजस्व आवेदन संख्या 195/2020

**प्रार्थी**  
1. लिखमाराम पुत्र बगताराम जाति  
जाट निवासी नई रेवाली तहसील  
बायतु जिला बाड़मेर

**बनाम**

**विप्रार्थी**  
1. लाखाराम पुत्र चन्दाराम  
2. गिरधारीराम पुत्र बगताराम  
3. हेमाराम पुत्र चन्दाराम जाति  
जाट निवासी नई रेवाली हाल  
नि. मुकनोणियों की ढाणी  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर  
4. शाखा प्रबंधक, जयपुर थार  
ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू  
5. तहसीलदार, बायतु

आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते निरस्त करने

एकतरफा जारी प्रारम्भिक निर्णय डिकरी दिनांक 18.11.2019 न्यायालय सहायक

कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2018 अनवान् लाखाराम वगैरा बनाम

हेमाराम वगैरा में पारित की गई।

उपस्थिति :- 1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

2. श्री घमण्डाराम सारण अधिवक्ता विप्रार्थी 1 व 2 की ओर से

दिनांक : 16.10.2020

## आदेश

प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2018 अनवान् लाखाराम वगैरा बनाम हेमाराम वगैरा में पारित एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.10.2019 व जारी प्राथमिक डिकरी दिनांक 18.11.2019 को निरस्त कर उक्त वाद में प्रार्थी को जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 (वादीगण) द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर मौजा मुकनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 741 रकबा 90.19 बीघा, खसरा नम्बर 774/741 रकबा 04 बीघा तथा मौजा चौखाणियों का तला पटवार मण्डल भीमडा के खेत खसरा नम्बर 13 रकबा 208.04 बीघा में अपने हिस्से की घोषणा व बंटवाड़ा करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.01.2018 को प्रस्तुत किया।

इस वाद में वाद के दायर करते समय प्रथम बार ही न्यायालय ने जरिये डाक के सम्मन प्रेषित करने का इन्द्राज किया गया जिस पर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्री डाक के नोटिस प्रेषित



16/10/2020  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

का आदेशिका में दर्ज है परन्तु नोटिस जारी करने के कोई क्रमांक, दिनांक या आउटवर्ड आदि कोई इन्द्राज नहीं है तथा प्रतिवादी का पता डाक विभाग की रसीद पर भीमडा दर्ज है जबकि पत्रावली में शामिल नोटिस पर प्रतिवादी का पता नई रेवाली हाल मुकनोगियों की ढाणी तहसील बायतु अंकित है। जिसके कारण सम्मन प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हो सकें तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2019 को उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिनांक 18.11.2019 को वादीगण के पक्ष में प्राथमिक डिक्री जारी कर, विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बायतु से मंगवाने का आदेश जारी किया गया। प्रार्थी ने उक्त कारणों से व्यथित होकर यह आवेदन एक पक्षीय कार्यवाही व प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया। साथ ही इस आवेदन को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का शमन कर प्रार्थी का आवेदन अंदर मियाद शूमार कर, स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थी का आवेदन आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण उपस्थित हुए। जिनके द्वारा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने पर सहमती जाहिर की गई है। फलतः प्रार्थी के विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विलम्ब के उप शमन पर प्रार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रकट किया गया कि प्रार्थी ने अपना आवेदन वास्तविक ज्ञान की तारीख से अंदर मियाद पैश किया है अतः न्याय हित में विलम्ब का शमन किया जाय।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व आवेदन धारा 5 परिसीमा अधिनियम का कोई विरोध नहीं हुआ। तथ्यों के आधार पर आवेदन अंदर मियाद शूमार किया जाता है।

एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करने के सम्बन्ध में पत्रावली व पत्रावली के संलग्न रेकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।

इन परिस्थितियों में प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 03/2018 अनवान् लाखाराम वगैरा बनाम हेमाराम वगैरा में प्रार्थी के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 16.10.2019 व एकपक्षीय जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.11.2019 निरस्त किया जाता है तथा मूल वाद में प्रार्थी को जवाबदावा व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे।



16/10/2020  
सहायक कलक्टर  
(विशेष) व्यास

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
बायतु